प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 सितम्बर, 2024

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनुज कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-23256/प्रो0(6)/227(स्वतंत्रता दिवस 2023), दिनांक 17.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनुज कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता सिकत्तरबाग थाना- कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 09-04-1994 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी की जलाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-351/1995 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-3 फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 07.05.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.08.2023 तक 16 वर्ष 03 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 06 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश सं0-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई, 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अनुज कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनुज कुमार (बन्दी संख्या-21886) पुत्र श्री श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-164/2024/2943(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

2- पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।